

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 नवम्बर 2015—कार्तिक 11, शक 1937

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. 6781-316-इकीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

### मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ६ सन् २०१५

### मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक 2 नवम्बर, 2015 को प्रथमबार प्रकाशित किया गया]

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यतः; राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ है।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभ।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक २० सन्  
२००२ का अस्थाई  
रूप से संशोधित  
किया जाना।

धारा २ का संशोधन.

अतिरिक्त कर का  
उद्घाटन.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ तथा ४ में निर्विर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा।

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (३) में, शब्द और अंक “‘धारा ९’” के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर “‘या ९-कक्ष’” अंतःस्थापित किए जाएं।

४. मूल अधिनियम की धारा ९-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“९-कक्ष (१) धारा ९ एवं ९-क में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, घोषित माल से भिन्न, अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के विक्रय पर, वजन, मात्रा, मापन या इकाई के आधार पर, ऐसी दर से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अतिरिक्त कर उद्घाटित किया जाएगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्घाटित अतिरिक्त कर के संबंध में, धारा १४ के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”

भोपाल :

दिनांक : ३१ अक्टूबर सन् २०१५।

राम नरेश यादव

राज्यपाल

मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. 6782-316-इककीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक ६ सन् २०१५) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

### MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 6 of 2015

### THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

[First published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 2<sup>nd</sup> November, 2015.]

Promulgated by the Governor in the sixty-sixth year of the Republic of India.

#### An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Ordinance, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Short title and  
commencement.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in section 3 and 4.

**Madhya Pradesh  
Act No. 20 of 2002  
to be temporarily  
amended.**

3. In section 2 of the principal Act, in clause (o), after the word and figure "section 9", the word, figure and letters "or 9-AA" shall be inserted.

**Amendment of  
section 2.**

4. After section 9-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

**Insertion of  
section 9-AA.**

"9-AA (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 9 and 9-A, there shall be levied additional tax, based on weight, volume, measurement on unit, on the sales of such goods specified in Schedule II, other than declared goods, at such rate as may be notified by the State Government.

**Levy of additional  
tax.**

(2) The provisions of section 14 shall mutatis mutandis apply to the additional tax levied under sub-section (1).".

Bhopal :

Dated the 31<sup>st</sup> October, 2015.

**RAM NARESH YADAV**  
Governor  
Madhya Pradesh.